न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/बीपीएल/52बी/2017

श्री चन्दप्रकाश पुत्र पूरनसिंह ग्रांम व पो. हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, वैर

.....रेस्पो0

अपील खिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी वैर आदेश दिनांक 27.2.2017 बाबत निरस्त करने बी.पी.एल. पात्रता।

निर्णय दिनांक 28.6.2018

अपीलान्ट/प्रार्थी ने यह अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी मेरे विरोधी पुष्पे'द्र सिंह पुत्र खेमसिंह ने झूठी शिकायत दर्ज करा कर उपखण्ड अधिकारी वैर से मेरा नाम बीपीएल सूची से हटवा दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी वैर का आदेश दिनांक 27.2.2017 निरस्त कर प्रार्थी का नाम बी.पी.एल. सूची में दर्ज कराया जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहत तलब की गई। अपीलान्ट स्वयं उपस्थित, अपीलान्ट को सुना गया।

पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के खिलाफ प्राप्त शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा तहसीलदार वैर एवं विकास अधिकारी वैर से विस्तृत जांच कराई गई है। पत्रावली में उपलब्ध जॉच रिपोर्ट एवं बीपीएल सेन्स 2002 अनुसूची ''अ'' में कुल प्राप्तांक 32 मिले हैं। प्रार्थी बी.पीएल.की पात्रता नहीं रखता है। उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.2.2017 विधिवत है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official